सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 99 / 2017 अपील (RCMS/2017/00042)
पंजीयन दिनांक – 24.07.2017
निर्णय दिनांक – 06.11.2018

1. श्री बादर पिता बन्ना काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हजारी सिंह पिता चतरासिंह रावत, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. श्री मंगल सिंह पिता चतरा रावत, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
3. श्री पप्पू पिता बादर काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
4. श्री धर्मा पिता बादर काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
5. श्री भगवान पिता बादर काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
6. दुर्गा पिता बादर काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
7. श्रीमती सोहनी पत्नि बादर काठात, निवासी शेखावास, तहसील भीम जिला राजसमन्द।
8. तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री मदन सिंह चौहान – वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम, प्रकरण संख्या 03/2017 दिनांक 17.05.2017

निर्णय

दिनांक 06.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम, प्रकरण संख्या 03/2017 दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेट संख्या–1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के इस आशय से पेश किया कि मौजा शेखावत, पटवार हल्का शेखावत, तहसील भील जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1071 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा, किस्म बंझड उनके खातेदारी व काश्तकारी में स्थित होकर उक्त आराजी में उनके हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी के मौके पर पक्की सीमा जानकारी एवं पत्थरगढ़ी नहीं होने से उनके एवं अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंटगणों में निरन्तर विवाद होता रहा है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प शेखावास में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी का आदेश दिया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य नहीं लिये गए। मौके की रिपोर्ट न ली जाकर निर्णय पारित किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के आपसी राजीनामें के आधार पर निर्णय किया,

जबकि ऐसा होता तो अपीलान्ट अपील नहीं करता। अपीलान्ट आराजी नम्बर 1071 पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 पत्थरगढ़ी की आड़ में उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा करना चाहते है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें विधिवत सुनवाई नहीं कर निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट अनपढ़ होकर केवल मात्र साक्षर है। कैम्प कोर्ट में उसे अंधकार में रख कर हस्ताक्षर करवाए गए। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.05.2017 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है। साथ ही कथित भूमि पर काबिज अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधि पूर्वक निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आराजीयात के मौके पर पक्की सीमा जानकारी एवं पत्थरगढ़ी नहीं होने से उनके एवं अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंटगणों में निरन्तर विवाद होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये। कथित राजीनामें के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील लाई नहीं होती हैं। कथित जमीन रेस्पोडेट संख्या 1 व 2 के स्वामित्व की होकर वह काबिज है। कथित आदेश अपीलान्ट को सूनकर पारित किया गया। ऐसे मामलें में मौके की रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती है। धारा 111 व 128 के प्रार्थना पत्र व जवाब के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है तथा ऐसे मामलें में साक्ष्य नहीं ली जाती है। अपीलान्ट ने जानबुझकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का पुनः परेशान करने बाबत अपील पेश की है। कथित जमीन से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका कब्जा नहीं है। मौके पर पत्थरगढ़ी कर सीमा बता दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त आराजीयात के मौके पर सीमा जानकारी एवं पत्थरगढ़ी नहीं होने से उनके एवं अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंटगणों में निरन्तर विवाद होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प 2017 शेखावास में पेश हुआ जहां पक्षकार उपस्थित हुए एवं आपसी राजीनामें से विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में उभय पक्षकारों को सुनकर एवं राजीनामें के आधार पर निर्णय दिनांक 17.05.2017 पारित किया गया, जो पूर्णतया विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम का निर्णय दिनांक 17.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर